National Permits to the Residents of Sikkim

*68. SHRI CHHATRA BAHADUR CHHETRI : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state whether he will consider increasing fleet of transport between Sikkim and rest of India by granting National Permits to *bonafide* residents of Sikkim ?

THE MINISTER OF STATE IN CHARGE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM) : The Motor Vehicles Act, 1939 has not yet been extended to the State of Sikkim. The question of grant of National Permits by Government of Sikkim, therefore, does not arise at present.

श्री क्षत्र बहादुर क्षेत्री : : अध्यक्ष महोदय, सिक्किम एक पिछड़ा हुआ राज्य है, इस बात को देखते हुए क्या मोटर विहिकिल्स ऐक्ट में परिवर्तन करने का केन्द्रीय सरकार का इरादा है जिससे कि वहां की जनता की आवश्यकता और मांग को पूरा किया जा सके ? यदि हां तो कब तक ?

श्री चांद राम : अभी होम मिनिस्ट्री ने क्लियरेंस नहीं दी है । अभी सिक्किम के ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी 10 जुलाई को आए थे और उनसे हमारे सेक्रेटरी की बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा कि अभी हमारा इरादा मोटर विहिकिल्स ऐक्ट, 1939 को लागू करने का नहीं है क्योंकि सिक्किम का मोटर व्हीकिल्स ऐक्ट वहां लागू है ।

श्री क्षत्र बहादुर क्षेत्री : क्या सिक्किम राज्य के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह क्या है ? सिक्किम में पर्यटन के लिए बहुत अच्छे स्थान हैं, इस संबंध में केन्द्रीय सरकार सिक्किम राज्य की क्या मदद कर रही है ?

श्री चांद राम : इस वक्त सवाल मोटर विहिकल्स ऐक्ट को लागू करने का था । जहां तक और स्कीमों की बात है सिक्किम बैकवर्ड एरिया है और उसके लिए होम मिनिस्ट्री कदम उठा रही है ।

श्री हुक्म चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, सिक्किम की नागरिक संघर्ष समिति ने भारत सरकार के अनेक कानूनों और नियमों को वहां लागू करने के लिए निवेदन किया है । उन्होंने प्रधान मंत्री जी, गृह मंत्री जी तथा कानून मंत्री जी को इस संबंध में लिखा है । उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए क्या आप 'मोटर व्हीकल्ज एक्ट' को वहां शीघ्र लागू करने जा रहे हैं ? सिक्किम जाने के लिए सिवाय मोटर मार्ग के दूसरा कोई मार्ग नहीं है । इस कानून के वहां पर लागू कर दिये जाने से वहां अधिक मोटरों का आवागमन ही सकेगा तथा इससे उस क्षेत्र का काफी विकास होगा आपने अभी हाल में इस कानून में एक संशोधन किया है– वह संशोधन सिक्किम के लिए भी लागू हो सकता है या नहीं ?

श्री चांद राम : मैंने अभी स्पष्टीकरण दिया था कि जब तक स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहेगी या जब तक होम मिनिस्ट्री से उसके लिए क्लिअरेंस नहीं मिलेगी, तब तक हम उसको ज़बरदस्ती वहां पर लागू नहीं कर सकते हैं । हमने जून में इस संबंध में होम मिनिस्ट्री को फिर से लिखा है, उनकी राय तथा सिक्किम गवर्नमेंट की राय आने के बाद हमें इसको वहां लागू करने में कोई एतराज नहीं है ।

श्री हुक्म चन्द कछवाय : उन्होंने प्रधान जी, गृह मंत्री जी और कानून मंत्री जी को अपना ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने भारत सरकार के सभी कानूनों को वहां पर लागू करने के लिए कहा है । मैं जानना चाहता हूं कि इस काम में क्या प्रगति हुई है ?

श्री चांद राम : बहुत से कानून वहां लागू कर दिये गये हैं, लेकिन मोटर व्हीकल्ज एक्ट के बारे में अभी उनकी राय नहीं आई है । उनकी राय आने के बाद कार्यवाही की जायगी ।

श्री राघव जी : सिक्किम की जनता के बहुत बड़े समुदाय की मांग है कि इंडियन मोटर व्हीकल्ज एक्ट को सिक्किम राज्य में भी लागू किया जाय । उन्होंने इस संबंध में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को भी पत्र लिखे हैं । क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं क्या ऐसा हो सकता है कि उनको पत्र लिखने के बजाय, वहां के अधिकारियों और यहां के अधिकारियों में चर्चा हो ताकि मालूम हो सके कि इस कानून को वहां लागू करने में क्या कठिनाईयां हैं ? राष्ट्रीय परमिट जारी करने से वहां के लोग भारत में आ सकेंगे और भारत के लोग वहां जा सकेंगे—इसलिए इस काम में शीघ्रता करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

श्री चांद राम : जैसा मैंने अभी अर्ज किया था, शायद माननीय सदस्य ने सुना नहीं, सिक्किम सरकार के सक्रेटरी ट्रांसपोर्ट यहां आये थे और उन्होंने यह राय जाहिर की कि हम अभी यह इरादा नहीं रखते हैं कि इस ऐक्ट को वहां पर लागू किया जाय । एक दिक्कत मुझे मालूम हुई है—सिक्किम के लोग ऐसा समझते हैं कि इस ऐक्ट को यदि वहां लागू कर दिया गया, तो नेशनल परमिट्स देने के मामले में वहां के रेजिडेंट्स फायदा नहीं उठा पायेंगे, इन्डियन रेजिडेन्ट्स उसका फायदा उठा लेंगे, वे नेशनल परमिट्स ले जायेंगे और इससे वहां के लोग इस वक्त भी फायदा उठा रहे हैं, वे नहीं उठा पायेंगे ।

श्री छविराम अर्गल : क्या सिक्किम के लोगों ने इस प्रकार की कोई मांग केन्द्रीय शासन से की है कि वहां के वाहनों को दूसरे स्टेट्स में ले जाने में कठिनाई होती है । जैसे उनका वैस्ट बंगाल के साथ बार्डर

लगता है, उनका व्हीकल वैस्ट बंगाल में नहीं जा सकता है, जिससे माल के लाने-लेजाने में बहुत दिक्कत होती है। इस कठिनाई को देखते हुए केन्द्र का जो मोटर व्हीकल्ज एक्ट है, वह वहां पर लागू हो, इस संबंध में आप कोई पहल करेंगे ?

श्री चांद राम : जैसा मैंने अभी अर्ज किया है कि हमको कोई ऐतराज नहीं है। हमारी मिनिस्ट्री ने होम मिनिस्ट्री को लिखा है। हम एक्ट वहां पर लागू करने के लिये राजी हैं, बशर्ते कि वहां की सरकार ऐसा चाहे। जहां तक वेस्ट बंगाल की बात है, सिलिगुडी और दूसरे हिस्सों में माल लाने-लेजाने के लिये एक इन्टर स्टेट एग्रीमेंट वैस्ट बंगाल के साथ हुआ था और उस एग्रीमेंट के तेहत वहां पर यातायात चल रहा है।

MR. SPEAKER :Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Two Year Medical Course

*65. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state whether there is any proposal under consideration of Government to introduce a two year medical course in place of present system of medical education ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RABI RAY) : Some suggestions have been received from time to time, but there is as yet no concrete proposal under the consideration of Government to introduce such a course. In any case, it will not be in place of the present system.

Agitation in AIIMS

*67. SHRI R. KOLANTHAIVELU : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) the full facts behind the reported agitation in the All India Institute of Medical Sciences over Selection Committee and other matters ; and

(b) the steps taken by Government to see that this premier Institute functions in a socially dedicated way to fulfil the objectives for which it was constituted ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RABI RAY): (a) The All-India Institute of Medical Sciences has stated that there has been no agitation in the Institute over the Selection Committee or any other matter. There is a solitary case of a writ-petition having been filed by one Dr. M. M. Kapur, Associate Professor in the Department of Surgery in the Supreme Court challenging the constitution of the Standing Selection Committee and the validity of the appointment of the Director of the Institute. This writ petition had earlier been dismissed by the High Court of Delhi in limine and Dr. Kapoor has filed a special leave petition in the Supreme Court of India. The matter is *sub judice.*

(b) In pursuance of the recommendations contained in the 102nd Report of the Estimates Committee on Ministry of Health and Family Welfare, a Review Committee, under the Chairmanship of Shri T. A. Pai, M.P. has been appointed to go into the working of All India Institute of Medical Sciences, New Delhi and the Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh. One of the terms of reference of the Review Committee is to assess how far the Institute has achieved the objectives laid-down by the Act of Parliament.

Man Power Supply to Gulf Countries

*69. SHRI S. JAGANATHAN : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some countries have entered into comprehensive pacts with Gulf countries for man power supply ; and

(b) if so, whether Government of India also propose to enter into such pacts ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE) : (a) and (b). We know of a few cases where agreements for manpower supply had been entered into by others with Gulf countries. Government of India is also actively examining the question of concluding agreements on manpower supply with countries in the West Asian and North African region including the Gulf countries In fact, an inter-ministerial group is currently engaged in evolving the draft of such comprehensive agreements.

Electrification of Delhi Ring Railway

*70. SHRI VIJAY KUMAR MALHOTRA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the estimated expenditure to be incurred on the electrification of Delhi Ring Railway ;

(b) the provision made therefor in the current year Budget; and